2. उक्त अधिनियम की धारा के अधीन जुलाई (1) की उपधारा 39 और धारा (2) की उपधारा 38, जुलाई 2019 से सितंबर 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2019

No. 28/2019 - Central Tax

G.S.R.454(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from July 2019 to September 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July 2019 to September 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[F. No. 20/06/16/2018-GST] RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुन, 2019

सं.29/2019-केंद्रीय कर

सा.का.नि.455(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनयम कहा गया है) 61क के नियम के उपनियम 5 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) 168 की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते है कि, जुलाई 2019 से सितंबर 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उतरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए संदाय:- उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में, शास्ति ब्याज, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में, यथास्थिति, विकलन करके अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

[फा.सं.20/06/16/2018-जीएसटी]

रूचि बिष्ट. अवर सचिव